असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के लिए नोटिस

(एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव)

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

(Election of ONE Shareholder Director)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/
अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से

through Video Conferencing/
Other Audio Visual Means (VC / OAVM)

गुरुवार, 21 दिसंबर, 2023

THURSDAY, 21ST DECEMBER, 2023

bob World | बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

निवेशक सेवाएं विभाग
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, 7वी मंजिल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 .
ईमेल: investorservices@bankofbaroda.com

INVESTORS' SERVICES DEPARTMEENT
Baroda Corporate Centre, 7th Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.
Email: investorservices@bankofbaroda.com

विषय / CONTENTS

पृष्ठ सं.
Page No.

नोटिस / NOTICE 03

नोट / NOTES 05

नामांकन फॉर्म / NOMINATION FORM 39/40

घोषणा / DECLARATION 41/43

प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचन-पत्र / DECLARATION AND UNDERTAKING BY A PROPOSED DIRECTOR . 45/49

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय: अलकापुरी, बड़ौदा - 390 007
कॉर्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 .
वेबसाइट:: www.bankofbaroda.in

Bank of Baroda
Head Office: Alkapuri, Baroda – 390 007
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051
Website: www.bankofbaroda.in

नोटिस

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्यवाही के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) का आयोजन **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) से गुरुवार, दिनांक 21 दिसंबर, 2023 को प्रातः 11.00** बजे किया जाएगा:

मद संख्या 1:

बैंकिंग विनिमयन अधिनियम, 1949 (इसके बाद जिसे "विनियमन अधिनियम" कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसका उल्लेख "योजना" के रूप में किया गया है) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9 (3)(i) और अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में निर्मित, बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 (इसके बाद इसका उल्लेख "विनियमन" के रूप में किया गया है), सेबी (सूचीयन बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 यथा संशोधित (इसके बाद इसे "सेबी सूचीयन विनियमन" कहा गया है) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 तथा दिनांक 20 जुलाई 2016 को जारी दिशानिर्देशों (इसका उल्लेख "भारत सरकार के दिशानिर्देशों" के रूप में किया गया है) तथा आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश संख्या डीबीआर. एपीपीटी.सं. 9/29.67.001/2019-20 एवं अधिसूचना सं. डीबीआर. एपीपीटी. सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 (इसका उल्लेख "**भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश**" के रूप में किया गया है तथा आगे अन्य संशोधन, यदि कोई हो) के अनुसार बैंक के केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से, जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, एक निदेशक का चुनाव करना तथा चुनाव के बाद निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

ए) यह संकल्प पारित किया जाता है कि संबद्ध योजना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3)(i), उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, जिन्हें केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निदेशक के रूप में चुना गया है, उन्हें एतद्द्वारा दिनांक **24 दिसंबर, 2023** से बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद पर बने रहेंगे/बनी रहेंगी"

उपरोक्त संकल्प को सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 25 (2ए) के प्रावधानों के तहत भी पारित माना जाएगा।

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Bank of Baroda will be held on **Thursday, 21st December, 2023 at 11.00 a.m. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (**VC / OAVM), to transact the following business:

Item Number 1:

To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (here in after referred as "the Regulation Act"), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") and RBI Master Direction Nos. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 and Notification Nos. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as **"RBI Master Directions**" and further amendments thereto, if any) read with Guidelines dated 25th March 2015 and dated 20th July 2016 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to **"GOI Guidelines**") and further amendments thereto, if any, and pass the following resolution:-

a) "RESOLVED THAT One Director elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Master Directions and GOI Guidelines, be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office from **24th December 2023** and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

The aforesaid Resolution shall also be considered to be passed under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

मद संख्या 2:

निम्नलिखित संकल्प पर एक सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर उसे पारित करना:-

"यह संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 सितंबर, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 20 सितंबर, 2023 से उनकी अधिवर्षिता की तारीख अर्थात् 31.03.2024 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री अजय के खुराना की पुन: नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

मद संख्या 3:

निम्नलिखित संकल्प पर एक सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना एवं उचित पाए जाने पर उसे पारित करना:-

"यह संकल्प पारित किया जाता है कि समय-समय पर संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1 सी) के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9 (3) (ए) के तहत भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 अक्तूबर, 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 09 अक्तूबर, 2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री लाल सिंह की नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

निदेशक मण्डल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(देबदत्त चांद)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 08 नवंबर, 2023

Item Number 2:

To consider and if thought fit to pass the following as an Ordinary Resolution:-

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the re-appointment of Shri Ajay K Khurana, as an Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification dated 18th September 2023 issued by Government of India, w.e.f. 20th September 2023 till the date of his superannuation i.e. 31.03.2024, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

Item Number 3:

To consider and if thought fit to pass the following as an Ordinary Resolution:-

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Lal Singh, as an Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification dated 09th October 2023 issued by Government of India, w.e.f. 09th October 2023, for a period of three years, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

By Order of Board of Directors
For BANK OF BARODA

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 08th November, 2023

नोट:

1. व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक की कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के जरिए असाधारण आम बैठक (ईजीएम):

- एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों और दिनांक 05 मई, 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 तथा परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के माध्यम से कंपनियों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर, 2024 तक अपनी असाधारण आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुरूप सेबी ने भी अपने परिपत्र दिनांक 06 अक्तूबर, 2023 के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को छूट प्रदान की है।
- उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की असाधारण आम बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से किया जा रहा है। **ईजीएम के आयोजन का स्थान वडोदरा स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय समझा जाएगा।**

3. प्रॉक्सी और अधिकृत प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों की नियुक्ति:

चूंकि यह बैठक वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से आयोजित हो रही है, इस ईजीएम बैठक में उपस्थित रहने तथा शेयरधारकों के लिए वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

हालांकि, कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी / इकाई के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने सबंधी संकल्प की एक प्रति, संबंधित बैठक जिसमें इसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के रूप में सत्यापित कर इसे v-raju.sv@kfintech.com/companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, 16 दिसंबर, 2023 को सायं 4.00 बजे अथवा इससे पहले नहीं भेज दी जाती है।

4. ईजीएम में प्रतिभागिता

बैंक ने केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (KFin Technologies Private Limited), रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स को असाधारण आम बैठक के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु तथा ईजीएम के आयोजन के लिए एटेंडेंट इनेब्लर्स के लिए नियुक्त किया है।

वीसी/ ओएवीएम के संबंध में ईजीएम के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसरण में:

ए) शेयरधारक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट करने के लिए उन्हें प्रदान की गई लॉगिन क्रेडेंशियल के जरिए बैठक में भाग ले

NOTES:

1. Explanatory Statement:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

- MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 and Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023, permitted companies to hold their EGM through VC/OAVM by 30th September 2024. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its Circular dated 06th October 2023.
- In compliance with the above guidelines, Extraordinary General Meeting of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). **The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank at Vadodara.**

3. Appointment of Proxies and Authorised Representative(s):

As the Meeting is being held through VC / OAVM, the facility to the Shareholders to appoint proxy to attend and vote at the meeting is not available for this EGM.

However, no person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company/entity unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been sent by email to v-raju.sv@kfintech.com / companysecretary.bcc@bankofbaroda.com not later than four days before the date of meeting i.e., on or before 4.00 p.m. on Wednesday, 16th December 2023.

4. EGM Participation

The Bank has appointed KFin Technologies Limited (KFIN), Registrars and Transfer Agents (RTA), to provide Video Conferencing facility for the EGM and the attendant enablers for conducting of the Meeting.

Pursuant to the provisions of the circulars of EGM on the VC / OAVM:

a) Shareholders can attend the meeting through log in credentials provided to them to connect

सकते हैं। बैठक स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

बी) शेयरधारक की ओर से उपस्थित होने और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति सुविधा उपलब्ध नहीं है। .

सी) कॉर्पोरेट्स निकाय वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित रहने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और भाग लेने तथा ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र हैं।

- शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के 15 मिनट पहले ईजीएम में शामिल हो सकते हैं। ईजीएम में फीफो (FIFO) आधार पर 1000 तक शेयरधारक भाग ले सकते हैं।
- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्षों, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में ईजीएम में फीफो के कारण प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों (शेयरधारकों के लॉगिन) की गिनती बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

ईजीएम आयोजन संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर अपलोड किया गया है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है। यह ई-वोटिंग एजेंसी मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (M/s KFin Technologies Private Limited) की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईजीएम से जुड़ने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश:

शेयरधारक को मेसर्स केफिन द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक इसे https://emeetings.kfintech.com पर दूरस्थ ईवोटिंग क्रेडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए "ईजीएम-वीडियो कॉन्फ्रेंस एवं स्ट्रीमिंग" आइकॉन पर क्लिक कर एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद, शेयरधारकों को संबंधित इवेंट विवरण और बैंक का नाम चुनना होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या जो यूजर आईडी

to Video Conferencing. Physical attendance of the Shareholders at the Meeting venue is not required.

b) Appointment of proxy to attend and cast vote on behalf of the Shareholder is not available.

c) Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the EGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

- The Shareholders can join the EGM -15- minutes before the time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in this Notice. Upto 1000 Shareholders will be able to join on a FIFO basis to the EGM.
- There will no restrictions on account of FIFO entry into EGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of the Shareholders (Shareholders logins) attending the EGM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under the Bank of Baroda General (Shares and Meeting) Regulations, 1998.

The Notice calling the EGM is being uploaded on the website of the Bank at www.bankofbaroda.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and is also available on the website of KFIN, the e-voting agency at the website address https://evoting.kfintech.com

5. INSTRUCTIONS FOR THE SHAREHOLDERS FOR ATTENDING THE EGM THROUGH VIDEO CONFERENCING:

Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM through video conferencing platform provided by KFin. Shareholders may access the same at https://emeetings.kfintech.com by clicking the icon of "EGM-Video Conference & Streaming" by using the remote evoting credentials. Upon login, shareholders need to select respective event details and name of the Bank. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting

और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुन: प्राप्त कर सकते हैं।

- शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम/ फायरफॉक्स के साथ लैपटॉप/ स्मार्ट फोन के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़े प्रतिभागियों को उनके अपने नेटवर्क में अप-डाउन के चलते ऑडियो/ वीडियो में खराबी (बंद/रुक-रुक कर आने) की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अत: उपर्युक्त समस्याओं से बचने के लिए स्टेबल वाई-फ़ाई या लैन कनेक्सन का उपयोग करें।

ऐसे शेयरधारक जो **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम)** से बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं वे ईजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट अपने रिमोट ई-वोटिंग विवरणों का उपयोग करते हुए केफिन की ई-वोटिंग वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com पर लॉगिन कर देख सकते हैं।

6. **विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख:**

बैंक ने निम्नलिखित विनिर्दिष्ट/ कट-ऑफ तारीख निर्धारित किया है:-

कार्यसूची मद संख्या - 1 के लिए:

केंद्र सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव के लिए अर्थात् **नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट करने** में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से **शुक्रवार, 17 नवंबर, 2023** ।

कार्यसूची मद संख्या - 2 एवं 3 के लिए:

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान के लिए बुधवार 13 दिसंबर, 2023।

7. **मतदान का अधिकार:**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न तदनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के **दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा।**

बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन,1998, के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति को उन शेयरों का एकलधारक समझा जाये। अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही असाधारण आम बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा बैठक में वोटिंग, यदि वोटिंग के अधिकार का प्रयोग दूरस्थ ई-वोटिंग के द्वारा नहीं किया जाता है, कार्यसूची पर मत देने का पात्र होगा। .

or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

- Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/Smart phones with Google Chrome/Firefox for better experience.
- Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

Shareholders who are not able to join this Meeting over **VC/OAVM will** be able to view the live webcast of proceedings of EGM by logging on the e-voting website of Kfin at https://emeetings.kfintech.com using their remote e-voting credentials.

6. **Specified/Cut-Off Date:**

The Bank has fixed the following Specified / Cut-off dates:

For agenda Item Number – 1:

Friday, 17th November 2023 for determining the list of Shareholders entitled to participate in the Election i.e., to **Nominate, Contest and Vote** for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government.

For agenda Item Number – 2 & 3:

Wednesday, 13th December 2023, for attendance at the Meeting and voting.

7. **Voting Rights:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

As per Regulation 10 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the EGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the EGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

8. दूरस्थ ई-वोटिंग

सेबी के (सूचीयन करार एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, आपके बैंक को, शेयरधारकों को बैठक के नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस विषय में शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है:

क. बैंक ने ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु **केफिन को दूरस्थ ई-वोटिंग एजेंसी** के रूप में नियुक्त किया है।

ख. दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु प्लेटफॉर्म सोमवार, 18 दिसंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे से बुधवार, 20 दिसंबर 2023 को शाम 5 बजे तक (दोनों दिन सहित) पूरे समय खुला रहेगा।

ग. **दूरस्थ ई-वोटिंग वैकल्पिक है।**

कट ऑफ तारीख तक, अर्थात् शुक्रवार 17 नवंबर, 2023 **(मद संख्या 1 के लिए) एवं बुधवार 13 दिसंबर, 2023 (मद संख्या-2 एवं 3 के लिए), मूर्त या अमूर्त (डिमैटेरिलाइज्ड) रूप में** बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकेंगे।

घ. **आरटीए पोर्टल (मूर्त या अमूर्त शेयरधारक के लिए) के माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग से संबंधित** अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

जो शेयरधारक उपर्युक्त कट-ऑफ़-तारीख को वोट देने हेतु पात्र हैं, ई-वोटिंग के लिए **18 दिसंबर, 2023** को सुबह 9 बजे पोर्टल खुलने पर निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें : https://evoting.kfintech.com

लॉगिन क्रेडेंसियल की अर्थात् नोटिस के साथ संलग्न उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रविष्ट करें।

उपयुक्त रूप से ब्यौरा दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।

आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यत: अपना पासवर्ड बदलना होगा। नये पासवर्ड में एक 'अपर केस' (A-Z), एक लॉअर केस (a-z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित न्यूनतम 8 कैरेक्टर होंगे। सिस्टम आपको पहली बार लॉगिन करते समय पासवर्ड बदलने हेतु तथा मोबाइल नं. ई- मेल जैसे संपर्क के ब्यौरे में कोई अद्यतन जानकारी देनी हो तो उसे दर्ज करने हेतु कहेगा। आप यदि अपना पासवर्ड भूल गये हैं, तो उसे पुन: प्राप्त करने हेतु अपनी पसंद के गोपनीय प्रश्न और उत्तर की प्रविष्टि भी कर सकते हैं। **यह काफी प्रमुखता से सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।**

8. Remote E-Voting

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice of the meeting. Shareholders are informed as under in this regard:

a) The Bank has appointed **KFIn as the remote e-voting agency** to provide the e-voting platform.

b) The platform will open for remote e-voting at 9.00 a.m. on Monday, 18th December 2023 and will remain open throughout on all the days up to 5.00 p.m. on Wednesday, 20th December 2023 (both days inclusive).

c) **Remote e-voting is optional**.

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the **Cut – off Date(s) i.e. Friday, 17th November 2023 (for agenda item number -1) and Wednesday, 13th December 2023 (for agenda item number – 2 & 3)** may cast their vote electronically.

d) The **instructions for remote e-voting through RTA Portal (for Demat and Physical Shareholders)** are as under:

The Shareholders eligible to vote as on the aforesaid Cut-Off Date(s), to use the following URL for e-voting: https://evoting.kfintech.com on opening of the same on **18th December 2023** at 9.00 a.m.

Enter the login credentials i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip annexed on this Notice.

After entering the details appropriately, click on LOGIN.

You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

आपको नये क्रेडेंसियल से पुन: लॉगिन करना होगा।

सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, सिस्टम आपको EVENT अर्थात **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** का चयन करने हेतु निर्देश देगा। वोटिंग पृष्ठ पर, निर्दिष्ट तारीख (17 नवंबर, 2023, मद संख्या-1 के लिए; बुधवार 13 दिसंबर, 2023 मद संख्या- 2 एवं 3 के लिए) पर शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी। आप ASSENT अथवा DISSENT, जैसा भी मामला हो, पर क्लिक कर सकते हैं। पुष्टि करने हेतु "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा परिवर्तन करने हेतु "CANCEL" पर क्लिक करें। **एक बार पुष्टि करने के बाद आप वोट में परिवर्तन नहीं कर सकते। वोटिंग अवधि के दौरान, शेयरधारक संकल्प पर वोट देने के पूर्व कितनी भी बार लॉगिन कर सकता है।**

एक से अधिक फोलियो/ डिमैट खाता रखने वाले शेयर धारकों को प्रत्येक फोलियो /डिमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया करनी होगा। **हालांकि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अधीन, भारत सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई शेयरधारक को, बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के लिए वोट करने की अनुमति नहीं होगी।**

उपर्युक्त अनुरूप पोर्टल बंद हो जाएगा एवं बंद होने पर यह सुविधा तत्काल समाप्त हो जाएगी।

बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणयन एंड कं., कंपनी सचिव को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ओं के अनुप्रमाणित हस्ताक्षरों सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार-पत्र की स्कैंड (पीडीएफ/ जेपीजी) प्रति scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजना आवश्यक है।

शेयरधारक आवधिक विवरण प्राप्त करने हेतु बैंक की वेबसाइट देखें।

आपका यदि कोई प्रश्न हो तो आप https://evoting.kfintech.com पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्यूअल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (यूनिट :बैंक ऑफ़ बड़ौदा), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32 गाचीबावली, फायनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद- 500 032

You need to login again with the new credentials.

On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., **Bank of Baroda.** On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (17th November 2023, for agenda item number – 1; 13th December 2023, for agenda item number – 2 & 3) will appear. Shareholder(s) will have option to vote on a resolutions at the TOP by click on ASSENT or DISSENT. Click OK to confirm else CANCEL to modify. **Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolutions.**

Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. **However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**

The portal will close as aforesaid and the facility will be disabled immediately on the closure.

The Bank has appointed M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail : scrutinizer@snaco.net

Shareholders may visit Bank's website to get periodical updates.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. S.V. Raju, DVP / of Kfin Technologies Ltd, (Unit : Bank of Baroda), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,

के डीवीपी श्री एस वी राजू से दूरभाष संख्या 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर या मेल आईडी v-raju.sv@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग की लॉगिन विधि :

- **केवल डीमैट में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लागू**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ संचलित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

व्यक्तिगत सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) डिपॉजिटरी के माध्यम से लॉगिन करें

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. **आईडीईएएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता:** I. यूआरएल:https://eservices.nsdl.com II. 'आईडीईएएस' सेक्शन के अंतर्गत "बेनीफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें। III. नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "ई-वोटिंग एक्सैस" पर क्लिक करें। IV.. कंपनी का नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुन:निर्देशित किया जाएगा।	1 **मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest को चुना है।** I. यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or URL: www.cdslindia.com II. न्यू सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें। III. यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। . IV. बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने हेतु विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। . V. अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।

Serilingampally, Hyderabad – 500 032 at e-mail v-raju.sv@kfintech.com at phone no. 1-800-309-4001 (toll free).

Login method for e-voting :

- **Applicable only for Individual members holding securities in Demat**

As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual members holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Individual Members (holding securities in demat mode) login through Depository

Login method for Individual members holding securities in demat mode is given below:

NSDL	CDSL
1. **User already registered for IDeAS facility:** I. URL: https://eservices.nsdl.com II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section. III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	1. **Existing user who have opted for Easi / Easiest** I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or URL: www.cdslindia.com II. Click on New System Myeasi III. Login with user id and password. IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.

एनएसडीएल	सीडीएसएल
2. **ऐसे उपयोगकर्ता जिन्होंने आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकरण नहीं किया है** I. रजिस्टर करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com II. "आईडीईएएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" चुनें III. आवश्यक फ़ील्ड को भरें और आगे बढ़ें। जो उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है IV. रजिस्टर करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp V. आवश्यक फ़ील्ड को भरें और आगे बढ़ें।	2. **ऐसे उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest के लिए पंजीकरण नहीं किया है** I. पंजीकरण करने के लिए विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। II. आवश्यक फ़ील्ड को भरें और आगे बढ़ें।
3. **एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट के माध्यम से** I. यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ II. 'शेयरधारक/ सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। III. **उपयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के पास 16-अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करें जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।** IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। V. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।.	3 सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट के माध्यम से I. यूआरएल: www.cdslindia.com II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें। . III. सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी, जहां ई-वोटिंग प्रक्रिया जारी है, के लिए लिंक प्रदान किया जाएगा।

व्यक्तिगत सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करें

NSDL	CDSL
2. **User not registered for IDeAS e-Services** I. To register click on link : https://eservices.nsdl.com II. Select "Register Online for IDeAS" III. Proceed with completing the required fields. User not registered for IDeAS e-Services IV. To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp V. Proceed with completing the required fields.	2. **User not registered for Easi/Easiest** I. Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration II. Proceed with completing the required fields.
3. **By visiting the e-Voting website of NSDL** I. URL: https://www.evoting.nsdl.com/ II. Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.	3. By visiting the e-Voting website of CDSL I. URL: www.cdslindia.com II. Provide demat Account Number and PAN No. III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e- Voting is in progress.

Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants.

ई-वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से डीमैट खाते में लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर प्रेषित किया जाएगा। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

एनएसडीएल पर जिन सदस्यों को तकनीकी समस्या हो	सीडीएसएल पर जिन सदस्यों को तकनीकी समस्या हो
लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क को संपर्क कर सकते हैं।	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या के लिए सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या 022-23058738 या 22-23058542-43 पर कॉल करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क को संपर्क कर सकते हैं।

- **गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लागू**

  गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लॉगिन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

क. प्रारंभिक पासवर्ड ईमेल के मुख्य भाग में दिया गया है।

ख. इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च करें और एड्रेस बार में यूआरएल https://evoting.kfintech.com टाइप करें।

ग. अपने ईमेल में उल्लिखित लॉगिन क्रेडेंशियल अर्थात् यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करें। आपका फोलियो नं./ डीपी आईडी क्लाइंट आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। हालांकि, यदि आप ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिन के साथ पंजीकृत हैं, तो वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।

घ. उचित प्रकार से विवरण प्रविष्ट करने के बाद LOGIN पर क्लिक करें।

ङ. आप 'पासवर्ड बदलें' मेनू में पहुंचेंगे, जहां आपको अनिवार्यत: अपना पासवर्ड बदलना होगा। नये पासवर्ड में एक 'अपर केस'

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.

- **Applicable for non-Individual members and members holding shares in physical form**

  Login method for non-individual members and members holding shares in physical form are given below:

Procedure and Instructions for remote e-voting are as under:

a. Initial password is provided in the body of the email.

b. Launch internet browser and type the URL: https://evoting.kfintech.com in the address bar.

c. Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No./DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFin for e-voting, use your existing User ID and password for casting your votes.

d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

e. You will reach the password change menu wherein you will be required to mandatorily change your password. The new password shall

(A-Z), एक लॉअर केस (a-z), एक अंक (0-9) तथा एक विशेष कैरेक्टर सहित (@,#,$, आदि) न्यूनतम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। यह प्रमुखता से सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं और इसे गोपनीय रखने हेतु अत्यंत सावधानी बरतें।

च. आपको नये क्रेडेंसियल से पुन: लॉगिन करना होगा।

छ. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, सिस्टम आपको EVENTअर्थात् बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चयन करने हेतु निर्देश देगा।

ज. वोटिंग पृष्ठ पर, कट-ऑफ़ तारीख पर आपके द्वारा धारित शेयरों की संख्या (जो वोट की संख्या दर्शाते हैं) प्रदर्शित होगी। यदि आप संकल्प पर सहमति/ असहमति वाले सभी वोट डालना चाहते हैं, तो all shares दर्ज करें और 'FOR'/'AGAINST' जैसा भी मामला हो, पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'FOR' और आंशिक रूप से 'AGAINST' पर क्लिक करें, लेकिन 'FOR' और/ या 'AGAINST' को मिलाकर कुल संख्या कट-ऑफ़ तारीख को आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप 'ABSTAIN' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयरों की गणना किसी भी हेड के अंतर्गत नहीं की जाएगी।

झ. एक से अधिक फोलियो/ डीमैट खाता रखने वाले सदस्यों को प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करना होगा।

ञ. उपयुक्त विकल्प का चयन कर अपना वोट डालें और 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए 'OK' पर क्लिक करें, अन्यथा संशोधित करने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको बाद में अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान की अवधि के दौरान आप एक से अधिक बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि आप यह पुष्टि नहीं कर देते कि आपने संकल्प पर मतदान कर दिया है।

ट. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) जो वोट देने हेतु प्राधिकृत हों, उन्हें विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित संबद्ध बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार-पत्र आदि की स्कैंड इमेज (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप) scrutinizer@snaco.net पर ई- मेल के माध्यम से संवीक्षक को भेजना अपेक्षित है और वे इसे अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड कर सकते हैं।.

9. असाधारण आम बैठक में चुनाव प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों पर वोटिंग, दूरस्थ ई-वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से होगी। जो दूरस्थ ई-वोटिंग विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं वे बैठक की तारीख को ईजीएम में आयोजित किए जाने वाले वोटिंग में अपना वोट देने के पात्र होंगे।

comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

f. You need to login again with the new credentials.

g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Bank of Baroda

h. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/ or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.

i. Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.

j. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.

k. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (pdf/jpg format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at scrutinizer@snaco.net and may also upload the same in the e-voting module in their login.

9. VOTING PROCESS AT THE EGM

The voting on the agenda items shall be done by remote e-voting as well as by voting at the EGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate in the voting to be conducted at the EGM on the date of the meeting.

10. दूरस्थ ई-वोटिंग / बैठक में मतदान हेतु संवीक्षक

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कं., कंपनी सचिव बैठक की कार्यसूची की सभी मदों के संदर्भ में दूरस्थ ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

11. रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक में मतदान का परिणाम

असाधारण आम बैठक में दूरस्थ ई-वोटिंग तथा मतदान के समेकित परिणाम की घोषणा दो दिनों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी तथा इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और केफिन की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

12. पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेश

क. नोटिस/ सूचना भेजने के लिए बैंक एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत बैंक खाते और संबंधित डिपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किए गए विवरण का उपयोग करेगा। इलेक्ट्रानिक फार्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डीमैट खाते में पंजीकृत उनके बैंक विवरण संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ अद्यतन होने चाहिए। बैंक या इसके रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट इलेक्ट्रानिक फार्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी परिवर्तन हेतु सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन केवल शेयरधारकों के डिपॉजटरी सहभागी को ही सूचित किया जा सकता है।

ख. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में परिवर्तन हो तो इसकी सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और औपचारिक अनुरोध पत्र के साथ तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैदराबाद को दें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन को अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के साथ ही पंजीकृत करना चाहिए, **बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार** और **शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।**

ग. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें।

13. भौतिक रूप में शेयर धारणकर्ता शेयरधारकों द्वारा पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर का नमूना प्रस्तुत किया जाना

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/

10. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEETING

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of all the agenda items to be considered at the meeting.

11. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEETING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the EGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and Kfin.

12. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

a) The Bank for sending Notices / communications will use the details of address registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Shareholders holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant so as to get updated immediately. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the Shareholders holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Shareholders.

b) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Kfin Technologies Limited, Hyderabad. Shareholders holding shares in electronic form must register change in address **with their respective Depository Participant only** and **not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.**

c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

13. FURNISHING OF PAN, NOMINATION, CONTACT DETAILS, BANK A/C DETAILS AND SPECIMEN SIGNATURE BY PHYSICAL SHAREHOLDERS

SEBI vide its Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-

एमआईआरएसडी-पीओडी-1/ पी/ सीआईआर/ 2023/ 37 दिनांक 16 मार्च 2023 के माध्यम से निम्नानुसार सूचित किया है:

1. सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर का नमूना प्रस्तुत करें।
2. जिन फोलियो में दिनांक 1 अक्तूबर, 2023 को या उसके पश्चात् उपर्युक्त दस्तावेज/ विवरण में से कोई एक दस्तावेज/विवरण उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।
3. जिन प्रतिभूति धारक(कों) के फोलियो को फ्रीज कर दिया गया है, वे उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित संपूर्ण दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही (1) शिकायत दर्ज करने या आरटीए से कोई सेवा अनुरोध प्राप्त करने (2) ऐसे फ्रीज किए हुए फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए 01 अप्रैल 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पात्र होंगे।
4. फ्रीज किए हुए फोलियो, यदि वे दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज ही रहते हैं, को आरटीए/ बैंक द्वारा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और/ या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

14. शेयरधारकों हेतु संपर्क विवरण

इस संप्रेषण के संबंध में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरों / लाभांश के किसी भी मामले या अन्य मुद्दों पर स्पष्टीकरण / सहायता के लिए आप निम्नलिखित पते पर हमसे / आरटीए से संपर्क कर सकते हैं (कृपया अपने संप्रेषण में अपने फोलियो नंबर / टेलीफोन नंबर / मोबाइल नं / ईमेल पते का उल्लेख करें)

केफिन टेक्नोलॉजी लि., यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत - 500 032. **ई-मेल :** einward.ris@kfintech.com **टोल फ्री/फोन नं.** : 1800 309 4001 **व्हाट्सऐप नं.** : (91) 910 009 4099 **केपीआरआईएसएम (मोबाइल एप्लिकेशन):** https://kprism.kfintech.com/ **केफिन टेक कॉर्पोरेट वेबसाइट:** https://www.kfintech.com **आरटीए वेबसाइट:** https://ris.kfintech.com **निवेशक सहायता केंद्र (डीआईवाई लिंक)** : https://ris.kfintech.com/clientservices/isc	**बैंक ऑफ़ बड़ौदा** निवेशक सेवाएं विभाग, 7वीं मंजिल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400 051 **टेलीफोन:** 022-6698 5731/ 5743 **सामान्य नंबर:** 022-6698 5000-04 (पीबीएक्स) **ई-मेल:** investorservices@bankofbaroda.com **बैंक की वेबसाइट पर शेयरधारक का कॉर्नर सेक्शन** - https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/

PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March 2023 has advised following:

1. It is mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.
2. The folios wherein any one of the above cited document/details are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.
3. The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible (1) to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in above para 1. (2) for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024.
4. Frozen folios will be referred by the RTA / Bank to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.

14. CONTACT DETAILS FOR SHAREHOLDERS

For clarifications / assistance on any of the matters of this communication or any other issues related to shares / dividends of Bank of Baroda, you may please reach us / RTA on the following address (Please quote your Folio No. / Telephone No. / Mobile No. / Email address in your correspondence).

KFin Technologies Ltd., Unit: Bank of Baroda, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32,Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032. **Email :** einward.ris@kfintech.com **Toll Free/ Phone Number :** 1800 309 4001 **WhatsApp Number :** (91) 910 009 4099 **KPRISM (Mobile Application) :** https://kprism.kfintech.com/ **KFINTECH Corporate Website :** https://www.kfintech.com **RTA Website :** https://ris.kfintech.com **Investor Support Centre (DIY Link) :** https://ris.kfintech.com/clientservices/isc	**Bank of Baroda** Investor Services Department, 7th floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051 **Tel:** 022 - 6698 5731 / 5743 **General Number :** 022 – 6698 5000-04 (PBX) **E-Mail:** investorservices@bankofbaroda.com **Shareholder's corner section on Bank's Website** **-** https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/

15. भौतिक शेयरों का डीमैटरलाइजेशन- एक विशेष अनुरोध:

1. सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 के जरिए यह निर्णय लिया है कि प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रतिभूतियों के अंतरण संबंधी अनुरोध तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे किसी डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में न हों। अत: हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डीमैट करवा लें।

2. सेबी (सूचीयन बाध्यता तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40(1) के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण को बंद कर दिया गया है। तदनुसार शेयरों का अंतरण तभी किया जा सकता है, जब शेयर डीमैट रूप में रखे गए हों।

3. इसके अलावा, सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी-आरटीएएमबी/ पी/ सीआईआर/ 2022/ 8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निर्णय लिया कि सूचीबद्ध कंपनियां डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन आदि जारी करने के अनुरोधों को प्रोसेस करते समय केवल डीमैट रूप में ही प्रतिभूतियां जारी करेंगी।

   उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए हम बैंक के सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं, जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, कृपया अपने शेयरों को भौतिक से डिमटेरियलाइज करा लें।

   शेयरों को डीमैट रूप में रखने के प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं:

   i. भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के गुम होने या क्षति की संभावना समाप्त हो जाती है;

   ii. शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के फटने या धोखाधड़ी या कटने-फटने की संभावना समाप्त हो जाती है

   iii. डीमैट होने से शेयरों की कागज रहित ट्रेडिंग की आसान सुविधा मिलती है। एक बार डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के पास डीमैट खाता खोलने के बाद शेयरधारक आसानी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर खरीद या बेच सकते हैं। .

16. भौतिक रूप में शेयरों के डीमैटरलाइजेशन की प्रक्रिया:

मौजूदा शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में डीमैटरलाइजेशन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

ए. उन शेयरधारकों के लिए जिनके पास डीमैट खाता नहीं है:

शेयरधारक(कों) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शाखा या किसी अन्य डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा एवं उसी नाम तथा स्वरूप में डीमैट खाता खोलना होगा, जिस नाम पर

15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS – A SPECIAL REQUEST:

1. SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, we request the shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

2. In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly transfer of shares can be done only if the shares are held in demat form.

3. Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2022/8 dated 25th January 2022, decided that listed companies while processing requests for issue of duplicate share certificate, transmission, transposition, etc., shall henceforth issue the securities in demat form only.

   In view of above, we request all shareholders of the Bank, who hold the shares in physical form to kindly dematerialize their shares.

   Major advantages of holding the shares in Demat form are as follows:

   i. Possibility of damage or loss of Physical share certificate is eliminated;

   ii. Possibility of tearing or forgery or mutilation of share certificate(s) are eliminated;

   iii. Dematerialization provides the ease and convenience of paperless trading of shares. Once a demat account is opened with a Depository Participant (DP), shareholder can easily buy or sell shares in electronic form.

16. PROCESS FOR DEMATERIALIZATION OF SHARES IN PHYSICAL FORM :

Following is the dematerialization process in case there is no change in details of existing share certificates:

A. For shareholder(s) who are not having a Demat account:

The shareholder(s) is/are required to approach nearby Bank of Baroda Branch or any other Depository Participant (DP) and open a Demat Account in the same name(s) and style in which

शेयरधारक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयर धारित करता है।

डीमैट खाता खोलने के पश्चात् शेयरधारक(कों) को डीपी को विधिवत रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) सरेंडर करना होगा, जो उसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/सत्यापन करेगा और यदि सही पाया जाता है तो शेयरधारक(कों) के डीमैट खाते में समतुल्य संख्या में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे।

बी. <u>पहले से डीमैट खाता रखने वाले शेयरधारकों के लिए:</u>

ऐसे शेयरधारक (कों) जिनके पास पहले से ही डीमैट खाता है, उन्हें यह देखना होगा कि क्या मौजूदा डीमैट खाता उसी नाम (मों) एवं स्वरूप में है जैसी बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शेयरधारिता है। यदि हां, तो शेयरधारकों को विधिवत रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित डीआरएफ मूल शेयर प्रमाणपत्र के साथ डीपी को प्रस्तुत करना होगा जो उसे बैंक के आरटीए को अग्रेषित करेगा।

आरटीए डीआरएफ की जांच/सत्यापन करेगा और यदि सही पाया जाता है, तो शेयरधारक (कों) के डीमैट खाते में समतुल्य संख्या में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे।

यदि मौजूदा डीमैट खाता समान नाम पर नहीं है, तो शेयरधारक(कों) को मार्गदर्शन के लिए अपने डीपी से संपर्क करना होगा।

यदि मौजूदा शेयर प्रमाण-पत्रों के विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो कृपया हमारे आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजी लि. अथवा बैंक से संपर्क करें।

17. अदावाकृत लाभांश / शेयरों का आईईपीएफ में अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं रिफंड) नियम, 2016 और उसके बाद के संशोधन ("नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार सभी अदावाकृत लाभांशों को बैंक द्वारा अदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात् केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ संख्या 13/2/2015-बीओ.II दिनांक 29 अक्तूबर, 2021 के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं रिफंड) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी

the shareholder(s) hold shares in Bank of Baroda.

After opening of the Demat Account, shareholder(s) has to surrender the original share certificate(s) along with duly filled-in and signed Demat Request Form (DRF) to the DP, who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s)

B. <u>For shareholders already having a Demat account</u>:

The shareholder (s) who are already having the Demat Account are required to check whether the existing Demat Account is in the same name(s) and style as per the shareholding in Bank of Baroda. If yes, shareholder(s) has to submit duly filled in and signed DRF along with original share certificate(s) to the DP who will forward the same to Bank's RTA.

The RTA will scrutinize/ verify the DRF and, if found in order, equivalent number of shares will be credited to the Demat account of the shareholder(s).

If the existing Demat Account is not in the same order of name, the shareholder(s) is/are required to approach his/her DP for guidance.

In case there is change in details of existing share certificates, kindly contact our RTA i.e. KFin Technologies Ltd or Bank at address mentioned above.

17. TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TO IEPF

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment thereto ("the Rules"), all unclaimed dividends are required to be transferred by the Bank to Investor Education Protection Fund (IEPF) established by Central Government, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with Office Memorandum (OM) F. No. 13/2/2015-BO.II dated

अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 (6) के अनुसार सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अदत्त/ अदावाकृत रहा है और आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा।

इसके अनुपालन में बैंक को उन शेयरधारकों के अदावाकृत शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित करना होगा जिन्होंने पिछले सात वर्षों या उससे अधिक समय से आईईपीएफ को लाभांश का दावा नहीं किया है। बैंक पहले ही वित्त वर्ष 2014-15 तक के अदावाकृत लाभांश को आईईपीएफ को अंतरित कर चुका है।

शेयरधारकों के अदावाकृत लाभांश का विवरण बैंक की वेबसाइट https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend और केफिन की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx पर प्रदर्शित किया गया है।

हम ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने अदत्त लाभांश का दावा तत्काल करें।

कृपया नोट करें कि भविष्य में ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे।

कृपया नोट करें कि आईईपीएफ को अंतरित किए गए अदावाकृत लाभांश राशि एवं शेयरों के संबंध में बैंक के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता।

18. अदावाकृत लाभांश / आईईपीएफ को अंतरित शेयरों का दावा:

अदावाकृत लाभांश जो पहले ही अंतरित किया जा चुका हो या शेयर, जिन्हें आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, के संबंध में कृपया नोट करें कि आप वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक को विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक भौतिक प्रति भेजकर आईईपीएफ से लाभांश राशि या शेयरों का दावा करने के हकदार हैं।

19. पिछले वर्षों का अदावाकृत / अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

शेयरधारक यह नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 में संशोधन के फलस्वरुप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरुप भुगतान हेतु /दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें।

"अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तारीख से

29th October, 2021 issued by Department of Financial Services (DFS), all the shares in respect of which dividend has remained unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more and have been transferred to IEPF are also liable for transfer to IEPF.

In compliance thereof, the Bank is required to transfer unclaimed shares to IEPF of those shareholders who have not claimed dividend for past seven years and more to IEPF. Bank has already transferred unclaimed dividend and shares upto FY2014-15 to IEPF.

The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website at https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/unpaid-dividend and that of KFin at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx

We request those shareholders to claim their unpaid dividend immediately by furnishing requisite documents.

Please note that all benefits accruing on such shares in future shall also be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority.

Please note that no claim shall lie against the Bank in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to IEPF.

18. CLAIMING OF UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES TRANSFERRED TO IEPF:

With regard to the unclaimed dividend that has already been transferred or the shares which are to be transferred to IEPF, kindly note that you are entitled to claim the dividend amount or the shares from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Bank along with requisite documents enumerated in the Form IEPF- 5.

19. UNCLAIMED / UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/ unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend

सात वर्ष की अवधि में अदावाकृत /अदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 तक घोषित किए गए अदत्त लाभांश को पहले ही आईईपीएफ को अंतरित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगे के अदत्त लाभांश के अंतरण के लिए भविष्य की निर्दिष्ट तारीखें नीचे दी गई हैं।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आईईपीएफ को अंतरित करने की निर्दिष्ट तारीख/ आरटीए या बैंक को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख		
		बैंक ऑफ़ बड़ौदा	पूर्ववर्ती विजया बैंक	पूर्ववर्ती देना बैंक
1	2016-2017	06 अगस्त, 2024	29 जुलाई 2024	लागू नहीं
2	2017-2018	लागू नहीं	04 अगस्त 2025	लागू नहीं
3	2018-2019	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	2019-2020	लागू नहीं		
5	2020-2021	लागू नहीं		
6	2021-2022	21 जुलाई 2029		
7	2022-2023	07 अगस्त 2030		

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17 से अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अथवा बैंक के निदेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	निवेशक सेवाएं विभाग
(यूनिट :- बैंक ऑफ़ बड़ौदा) कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com फोन न. 040 6716 2222 एवं टोल फ्री: 1800 345 4001	बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 7 वां तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 ई मेल :- investorservices@bankofbaroda.com

व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्यी 1:

बैंक के एक शेयरधारक निदेशक का चयन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा (9) (3) (i) के अनुसरण में, वर्तमान में हमारे बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र

Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956 (Section 125 of Companies Act, 2013) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. The Bank has already transferred unpaid dividend declared up to FY 2015-16 to IEPF. For the details of unpaid dividend from FY 2015-16 onwards, the details about future due dates for transfer are given below:

Sr. No	Financial Year	Due Dates for Transfer to IEPF/Last Date by which the claim should reach RTA or the Bank		
		Bank of Baroda	eVijaya Bank	eDena bank
1	2016-2017	06th August, 2024	29th July 2024	Not Applicable
2	2017-2018	Not Applicable	04th August 2025	Not Applicable
3	2018-2019	Not Applicable	Not Applica-ble	Not Applicable
4	2019-2020	Not Applicable		
5	2020-2021	Not Applicable		
6	2021-2022	27th July 2029		
7	2022-2023	07th August 2030		

The Shareholders who have not en-cashed their dividend warrants for the previous years, i.e. from FY 2016-17 onwards are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or at Bank's Investors' Services Department at Mumbai on the following address :

KFin Technologies Ltd.	Investors' Services Department
(Unit :- Bank of Baroda) Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 Email id - einward.ris@kfintech.com Website: https://www.kfintech.com Toll free number - 1800-309-4001	Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051. E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

EXPLANATORY STATEMENT

Item Number 1:

Election of ONE Shareholder Director of the Bank

Pursuant to section (9) (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at present the Board of Directors of our Bank has following

सरकार के अलावा निम्नलिखित तीन निदेशक शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

i. **श्रीमती सौंदरा कुमार (24.12.2020 से 23.12.2023 तक प्रभावी)**

ii. श्री श्रीनिवासन श्रीधर (12.12.2021 से 11.12.2024 तक प्रभावी)

iii. श्री आलोक वाजपेयी (09.07.2021 से 08.07.2024 तक प्रभावी)

-1- निर्वाचित शेयरधारक निदेशक अर्थात् श्रीमती सौंदरा कुमार का कार्यकाल दिनांक 23.12.2023 को समाप्त हो रहा है, तदनुसार, उक्त रिक्ति को भरने के लिए निदेशक मंडल ने केंद्र सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव कराने का निर्णय लिया है। (शेयरधारक निदेशक)

अत: शेयरधारक (केंद्र सरकार से भिन्न) विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम, योजना, विनियम, अधिसूचना और दिशानिर्देशों की विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन प्रेषित करने के पात्र हैं।

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव, बैंक को शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत नामांकनों की जांच और निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति / निदेशक मंडल द्वारा उन्हें **'उपयुक्त एवं समुचित'** पाए जानेपर तथा तत्पश्चात् असाधारण आम बैठक में चुनाव के बाद होगा। इस प्रकार चयनित निदेशक 24 दिसंबर, 2023 से अपना कार्य संभालेंगे और अगले तीन वर्षों तक की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

मद संख्या 2:

श्री अजय के खुराना, कार्यपालक निदेशक की पुन: नियुक्ति का अनुमोदन करना (डीआईएन: 09076961)

श्री अजय के खुराना को दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक श्री अजय के खुराना के कार्यकाल को 20 सितंबर, 2021 से अगले दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने पुन: अपनी अधिसूचना दिनांक 18 सितंबर, 2023 के माध्यम से श्री अजय के खुराना (जन्म तिथि: 17 मार्च, 1964), कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यकाल को 20 सितंबर, 2023 से उनकी अधिवर्षिता की तारीख यानी 31.03.2024 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1 सी) के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निदेशक मंडल में किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा पुन: नियुक्ति हेतु अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करना होता है। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री अजय के खुराना की पुन: नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में लिया जाना अपेक्षित है।

संक्षिप्त प्रोफाइल:

श्री अजय के खुराना सीएआईआईबी की व्यावसायिक योग्यता के साथ बिजनेस

Three Directors representing Shareholders other than the Central Government:

i. **Smt. Soundara Kumar (w.e.f. 24.12.2020 to 23.12.2023)**

ii. Shri Srinivasan Sridhar (w.e.f. 12.12.2021 to 11.12.2024)

iii. Shri Alok Vajpeyi (w.e.f. 09.07.2021 to 08.07.2024)

The term of -1- elected Shareholder Director i.e., Smt. Soundara Kumar ends on 23.12.2023. Accordingly, to fill in the said vacancy, the Board of Directors have decided to conduct Election of One Director from amongst Shareholders other than the Central Government. (Shareholder Director)

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act, Scheme, Regulations, Notification and Guidelines.

The Shareholder Director will be elected after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his/her **'Fit & Proper'** Status by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors and subsequent election at the EGM. The Shareholder Director so elected shall assume office from 24th December 2023 and shall hold office for a period of three years.

Item Number 2:

To approve the re-appointment of Shri Ajay K Khurana, Executive Director (DIN: 09076961)

Shri Ajay K Khurana was appointed as Executive Director w.e.f. 01st April 2020. Government of India has extended the term of office of Shri Ajay K. Khurana, Executive Director, Bank of Baroda for a period of two years w.e.f. 20th September 2021. The Government of India vide its notification dated 18th September 2023 has further extended the term of office of Shri Ajay K. Khurana (DOB: 17th March 1964), Executive Director, Bank of Baroda w.e.f. 20th September 2023 till the date of his superannuation i.e. 31.03.2024, or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the EGM for re-appointment of Shri Ajay K Khurana as the Executive Director of the Bank.

Brief Profile:

Shri Khurana is a Post graduate in Business Management

मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दिनांक 01.04.2020 को बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के पद का दायित्व संभालने से पूर्व आपने दिनांक 20.09.2018 से 31.03.2020 तक सिंडिकेट बैंक के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक के तौर पर सेवाएं प्रदान की।

आपने दिनांक 15.11.1988 को विजया बैंक में अधिकारी के रूप में सेवा ग्रहण की। आपके पास 17 वर्षों तक फील्ड स्तर के विभिन्न पदों पर तथा 4 वर्षों तक विजया बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्य करने का व्यापक परिचालन अनुभव है। बैंक में प्रबंधन के सोपान चढ़ते हुए आप महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए। श्री अजय के खुराना को महत्त्वपूर्ण विभागों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, एनपीए वसूली, परिचालन, ऑडिट, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं कॉर्पोरेट क्रेडिट में कार्य करने का व्यापक अनुभव है।

आप दिनांक 20.09.2018 को कार्यपालक निदेशक के रूप पदोन्नत हुए और आपने विभिन्न पोर्टफोलियो यथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ट्रेजरी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, वसूली, एमएसएमई, मिड कॉर्पोरेट एवं केंद्रीय लेखा विभाग के कार्यों को संभाला है।

श्री अजय के खुराना को देय पारिश्रमिक/ प्रतिफल भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

श्री अजय के खुराना या उनके संबंधियों को छोड़कर बैंक के कोई भी निदेशक या उनके संबंधी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की संलग्न नोटिस की मद संख्या 2 में निर्धारित सामान्य संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उनका हित निहित नहीं है।

मद संख्या 3:

श्री लाल सिंह, कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन करना

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 09 अक्तूबर, 2023 के माध्यम से श्री लाल सिंह, (जन्म तिथि: 11 जनवरी, 1967) को 09 अक्तूबर, 2023 से अगले 03 वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1 सी) के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को निदेशक मंडल में किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा पुन: नियुक्ति हेतु अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करना होता है। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री लाल सिंह की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में लिया जाना अपेक्षित है।

संक्षिप्त प्रोफाइल:

श्री लाल सिंह, कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यदायित्व ग्रहण करने से पहले, मुख्य महाप्रबंधक एवं सीएचआरओ के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मानव संसाधन विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। आपके पास तीन दशकों से भी अधिक का बैंकिंग अनुभव है। आप विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। आप बैंक के ग्रामीण एवं कृषि व्यवसाय प्रभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत रहे, उसके बाद एमएसएमई विभाग और उभरते कॉर्पोरेट विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्यभार संभाला है। आपने अंचल प्रमुख के रूप में वाराणसी अंचल, लखनऊ

with Professional Qualification of CAIIB. Prior to joining the Board of Bank of Baroda as Executive Director on 01.04.2020, he served on the Board of Syndicate Bank as an Executive Director from 20.09.2018 till 31.03.2020.

He joined Vijaya Bank as an Officer on 15.11.1988. He has a vast operational experience at field level covering 17 years in various capacities and 4 years as Regional Head at Vijaya Bank. He climbed up the ladder of Management and was promoted as General Manager. Shri. Ajay K Khurana has acquired rich experience while working in various key departments such as Information Technology Dept., NPA Recovery, Operations, Audit, International Banking and Corporate Credit.

He was elevated to the rank of Executive Director on 20.09.2018 and handled various portfolios such as Information Technology Dept., Treasury & International Banking, Recovery, MSME, Mid Corporate and Central Accounts Dept.

Remuneration / Compensation payable to Shri. Ajay K Khurana is as per guidelines issued by Government of India.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Ajay K Khurana or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 2 of the accompanying Notice of EGM.

Item Number 3:

To approve the appointment of Shri Lal Singh, Executive Director

The Government of India vide its notification dated 09th October 2023 has appointed Shri Lal Singh (DOB: 11th January 1967), Executive Director, Bank of Baroda w.e.f. 09th October 2023 for a period of three years, or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the EGM for appointment of Shri Lal Singh as the Executive Director of the Bank.

Brief Profile:

Shri Lal Singh, before joining as Executive Director, was heading the Human Resources Department of Union Bank of India as Chief General Manager & CHRO. He is having more than three decades of Banking experience. He is a Master of Science. He was head of Banks Rural and Agri Business division followed by MSME Department &

अंचल और चेन्नई अंचल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है।

श्री लाल सिंह को देय पारिश्रमिक/ प्रतिफल भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है।

श्री लाल सिंह या उनके संबंधियों को छोड़कर बैंक के कोई भी निदेशक या उनके संबंधी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई हो, असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की संलग्न नोटिस की मद संख्या 3 में निर्धारित सामान्य संकल्प से संबंधित नहीं हैं या उनका हित निहित नहीं है।

निदेशक के चुनाव के लिए अन्य प्रावधान:

ए. विधिक प्रावधान

इस विषय से संबंधित विभिन्न अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं : -

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16 (1) धारा 20	• महत्वपूर्ण लाभ • सामान्य निदेशकों का निषेध • बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3)(i) धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) धारा 9 (3एए) व धारा 9 (3एबी) धारा 9 (3बी) धारा 13(2)	• वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध • शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या • कतिपय क्षेत्रों में विशेष ज्ञान • कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठ या अन्य निर्धारित किसी मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जाता। • ऐसे चुने गए निदेशक को, जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) व 9(3एए) की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार • निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी कर्तव्य

Emerging Corporate Department. He had also served as Zonal Head of Varanasi Zone, Lucknow Zone & Chennai.

Remuneration / Compensation payable to Shri. Lal Singh is as per guidelines issued by Government of India.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Lal Singh or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No. 3 of the accompanying Notice of EGM.

OTHER PROVISIONS FOR ELECTION OF DIRECTOR:

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	• Substantial Interest • Prohibition of Common Directors • Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	• Restriction on voting rights • No. of directors to be elected by the shareholders • Special knowledge in certain fields • No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. • Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. • Obligation as to fidelity and secrecy

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9 (4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11 बी खंड 12 (8)	• निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल • बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताएं • निदेशक कार्यालय को खाली करना • निर्वाचित निदेशक के पद से हटाया जाना • निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति भरा जाना • निदेशकों के हितों वाले कुछ निश्चित क्षेत्रों का निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (2008 तक संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	• संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग • सामान्य बैठकों में वोट देना • सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक • शेयरधारकों की सूची • चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन • नामांकनों की जांच • चुनाव विवाद • वोटिंग अधिकारों का निर्धारण • विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वोट किया जाना • प्रॉक्सी
भा.रि.बैं. मास्टर निदेश	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3एए) तथा 9 (3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए समुचित एवं उपयुक्तता मानदंड

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	• Term of office of elected directors • Disqualifications from being elected as a Director of the Bank • Vacation of office of Director • Removal from office of an elected Director • Filling of casual vacancy in the office of an elected Director • Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended up to 2008)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	• Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Directors to be elected at General Meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
RBI Master Directions	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of Public Sector Banks

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	आवश्यक प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
दिनांक 3 सितम्बर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित भारत सरकार के पत्र सं. एफ. न.16/51/2012-बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 के साथ पठित कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित अंशकालिक अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के लिए दिनांक 25 मार्च, 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देश		बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)(i) के अनुसार शेयरधारक निदेशक का चुनाव करते समय उम्मीदवारों की "उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति का निर्धारण करते समय निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखा जाएगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2015		निदेशकों के संबधियों को ऋण एवं अग्रिमों की स्वीकृति
सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015		स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/विनियम के संबद्ध अंशों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर.नियुक्ति.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in. पर प्रदर्शित किए जाएंगे जो उपयोगकर्ता द्वारा देखे/डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऐसे सारांश इच्छुक उम्मीदवारों को, उनके द्वारा नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात् **06 दिसंबर, 2023** को अथवा उससे पहले कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, कार्पोरेट कार्यालय के पास उनके ई-मेल "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" पर अनुरोध प्राप्त होने पर ई-मेल किए जा सकते हैं।

बी. चुनाव में भागीदारी :

जैसा कि पहले ही दर्शाया गया है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम **विनिर्दिष्ट/ कट-ऑफ तारीख** अर्थात **शुक्रवार, 17 नवंबर, 2023** को एनएसडीएल/ सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर पर अंकित हैं, वे सभी शेयरधारक केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के **चुनाव में भागीदारी अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने एवं वोट** देने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

ACT/SCHEME/ REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.		These guidelines be kept in mind by the Nomination and Remuneration Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBR.Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website.www.bankofbaroda.in. which can be viewed/downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Baroda at their Corporate Office at "companysecretary.bcc@bankofbaroda.com" on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **06th December 2023.**

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified/Cut- Off Date** i. e., on **Friday, 17th November 2023** shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

यह नोट किया जाए कि केंद्र सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है, परंतु पर्यवेक्षक के रूप में ईजीएम में उपस्थित रहेगी।

सी. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यता

1. अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक के किसी शेयरधारक और धारा 9 (3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को:

   ए) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:

   i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

   ii. बैंकिंग

   iii. सहकारिता

   iv. अर्थशास्त्र

   v. वित्त

   vi. विधि

   vii. लघु उद्योग

   viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।

   (भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 24 नवंबर, 2016 के अपने परिपत्र सं. डीबीआर.नियुक्ति.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से बैंक में निदेशक के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति पर विचार करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करने हेतु विशेषज्ञता का विस्तार किया है (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन (v) कारोबार प्रबंधन)

   बी) जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

   सी) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

2. अधिनियम की धारा 9 (3एए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है तथा बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसे **"उपयुक्त एवं समुचित"** हैसियत वाला होना चाहिए।

   अधिनियम की धारा 9 (3एबी) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया है, "उपयुक्त एवं समुचित" हैसियत का निर्धारण करने

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the EGM as an Observer.

C. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

   a) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

   i. agriculture and rural economy

   ii. banking

   iii. co-operation

   iv. economics

   v. finance

   vi. law

   vii. small scale industry

   viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank

   (RBI vide its circular no.DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

   b) represents the interest of depositors; or

   c) represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess **'Fit and Proper'** status.

   In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such

वाले प्राधिकारी, उस निर्धारण की प्रणाली, उस निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामले जो उससे प्रासंगिक हों या आवश्यक समझे जाएं, को ध्यान में रखें।

इसके अलावा निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए।

डी. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएं

(अ) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा:

ए) यदि वह, किसी समय दिवालिया करार दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोका हुआ हो या प्रशमन किया हो; अथवा

बी) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा नैतिक चरित्रहीनता के अपराध के कारण दण्डित किया गया हो, अथवा

डी) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित, भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह बैंक में अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता है/करती है। इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल है।

(ब) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीआर.नियुक्ति. सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त, 2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देशों सं. एफ.सं. 16/51/2012-बीओ.I. दिनांक 28 अप्रैल, 2015 और दिनांक 20 जुलाई, 2016 के साथ पठित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03 सितंबर, 2013 के मानदंडों के अनुसार 'उपयुक्त एवं समुचित' व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

ई. अवधि

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पुन:चुनाव के लिए पात्र होगा।

बशर्ते, वह निदेशक अपने पद पर लगातार छ: वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं रह सकेगा।

other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

D. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

(B) If he/she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and Government of India guidelines no. F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

E. TENURE

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

एफ़. भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा(3एए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना डीबीआर.नियुक्ति. सं: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले उपयुक्त एवं समुचित मानदंडों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

"उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार हैं:

ए) प्राधिकार :

बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति [इसके बाद से समिति कहा जाएगा] का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल [इसके बाद से बोर्ड कहा जाएगा] से तीन गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल होंगे। एसबीआई अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (सी)/बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड(i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की "उपयुक्त एवं समुचित" स्थिति का निर्धारण करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इस समिति में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक और कम से कम एक निदेशक जोखिम प्रबंधन समिति से होना चाहिए।

बी) पद्धति एवं प्रक्रिया :

बैंकों को चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से आवश्यक सूचना एवं घोषणा एवं वचनपत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर लेना चाहिए। समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं। समिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और यदि वोटिंग हुई हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर समिति को प्रत्याशी की स्वीकृति या अन्यथा रूप में निर्णय करना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

F. RBI'S 'Master Directions

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition &Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the **"Fit and Proper"** status etc., are as under:

a) Authority:

The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee [hereinafter referred to as the Committee] consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors [hereinafter referred to as Board], out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one Shareholder from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act/clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

b) Manner and procedure:

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format. from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

सी) मानदंड :

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को प्रस्तावित प्रत्याशियों की **'उपयुक्त एवं समुचित'** हैसियत का निर्धारण बोर्ड के निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए: -

(i) आयु - निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रस्तुति हेतु प्रत्याशी की आयु तय की गई कट-ऑफ तारीख तक 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ii) शैक्षणिक योग्यता - प्रत्याशी को कम से कम स्नातक होना चाहिए।

(iii) अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र - प्रत्याशी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.नियुक्ति.बीसी. सं 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित एसबीआई अधिनियम की धारा 19ए(ए) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3ए)(ए), जैसा भी मामला हो, में निर्धारित किसी एक या अधिक विषय पर विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

(iv) अयोग्यता: एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 22 / राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 10 में निर्धारित "निदेशकों की अयोग्यता" के अतिरिक्त;

ए) प्रत्याशी को किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा या उप-पैरा (सी) के उदेश्य से "बैंक" से आशय बैंकिंग कंपनी, समकक्ष न्यू बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है।

बी) किराया खरीद, वित्तपोषण, राशि उधार, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। हालाकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक की नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह इन कंपनियों में प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखता हो।

सी) किसी भी व्यक्ति को, जो पहले बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि. बैं./ बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या अलग-अलग समय

c) Criteria

The Nomination and Remuneration committee should determine the **'fit and proper'** status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) Age – The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.

(ii) Educational qualification – The candidate should at least be a graduate.

(iii) Experience and field of expertise – The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 19A(a) of the SBI Act / section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.

(iv) Disqualifications: In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:

(a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

(b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

(c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served

पर किसी भी श्रेणी में 6 वर्ष निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, उसे बैंक के बोर्ड में निर्वाचित/पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता।

डी) प्रत्याशी को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए।

ई) प्रत्याशी को संसद या राज्य विधानसभा या नगर निगम या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद् आदि निकाय) के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए।

एफ) प्रत्याशी को ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समर्वती लेखापरीक्षक के रूम में कार्य कर रहा हो।

जी) प्रत्याशी को ऐसे सनदी लेखाकार फर्म का साझेदार नहीं होना चाहिए जो जिस बैंक के चुनाव के लिए नामांकन किया गया है उसमें वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के साथ सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।

(v) अवधि - निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा और वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा: बशर्ते वह निदेशक लगातार या अलग-अलग समय पर 6 वर्ष से अधिक समय तक निदेशक के रूप में सेवा नहीं देगा।

(vi) व्यावसायिक प्रतिबंध -

ए) प्रत्याशी का संबंधित बैंक के साथ न ही व्यावसायिक संबंध होना चाहिए और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जो उस बैंक के व्यावसायिक हितों को (विधिक सेवाएं, सलाहकार सेवाएं आदि सहित) नुकसान पहुंचाए।

बी) प्रत्याशी का बैंक या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंसियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी)) के साथ पेशेवर संबंध नहीं होना चाहिए।

. बशर्ते कि निर्वाचन के लिए नामांकन दर्ज करते समय प्रत्याशी का बैंक के साथ ऐसा संबंध मद (बी) के तहत अपेक्षा को पूरा करता है, प्रत्याशी समिति के समक्ष यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि निदेशक के रूप में उसका निर्वाचन होता है तो बैंक के साथ ऐसे संबंध से अलग हो जाएगा और निर्वाचन पश्चात बैंक के निदेशक

as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

(d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.

(e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).

(f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

(g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.

(v) Tenure – An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.

(vi) Professional Restrictions –

(a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.

(b) The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such

के रूप में नियुक्त होने से पहले ऐसे संबंध से अलग हो जाएगा

(vii) ट्रैक रिकॉर्ड तथा निष्ठा - प्रत्याशी को किसी विनियामक या पर्यवेक्षक प्राधिकारी/ एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस न दिया गया हो और उसे किसी ऋणदाता संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

बैंकों को निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करना चाहिए:

ए) ऐसे व्यक्ति के निदेशक पद धारण करने से पहले संलग्न निर्धारित प्रारूप में निष्पादित प्रसंविदा विलेख;

बी) प्रति वर्ष 31 मार्च को एक सामान्य घोषणापत्र जिसमें यह उल्लिखित हो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सी) यदि निर्वाचित निदेशक द्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना में परिवर्तन हुआ है, तो बैंक ऐसे निदेशक से नया अनुलग्नक प्राप्त करेगा जिसमें ऐसे परिवर्तनों को शामिल किया गया हो।

बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि -

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन किया जाता है। साथ ही,

ए) निर्वाचित सीए निदेशक उसकी फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण और उसके स्वयं/ फर्म के ग्राहकों से संबन्धित बैंक के क्रेडिट/ निवेश संबंधी निर्णयों में सहभागिता न करने सहित सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाएं। निर्वाचित सीए निदेशक के लिए यह आवश्यक हो जाना चाहिए कि वह पूरी प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखें और इस आशय से एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करें।

बी) निर्वाचित निदेशक के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक के रूप में व्यक्तिगत रूप से स्वयं को उन संस्थाओं सहित जिनमें वह रुचि रखते हैं, से दूर रखते हुए तथा बैंक के क्रेडिट/ निवेश निर्णयों में प्रतिभागिता न करते हुए व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और डायरेक्टरशिप का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण करें।

सी) ऐसे निदेशक के रूप में पद छोड़ने के बाद दो साल की अवधि के लिए उस व्यक्ति को, जिसे उस बैंक का निदेशक चुना गया है, कोई व्यावसायिक कार्य आवंटित नहीं किए जाएं।

जहां निर्वाचित निदेशक: :

(ए) निम्नलिखित संबंध में विफल रहते हैं

(i) प्रतिज्ञा या घोषणा पत्र का डीड प्रस्तुत करने में; या

(ii) उचित प्रकटीकरण करने में; या

(iiii) जिसमें उसकी रूचि है ऐसे क्रेडिट / निवेश निर्णयों में सहभागिता करने से बचने में

relationship before appointment as a director of the bank.

(vii) Track record and integrity - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

(a) a Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of director;

(b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

(c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annexure incorporating the changes.

The banks shall also -

Ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

(a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/ investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.

(b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.

(c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Where the elected director:

(a) fails to

(i) submit the Deed of Covenant or declaration; or

(ii) make proper disclosures; or

(iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or

(बी) अधूरा या गलत प्रकटीकरण करता है, या

(सी) ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो उसे उपर्युक्त उल्लिखित मानदंड के अनुसार "उपयुक्त और समुचित नहीं" बनाते हैं।

ऐसे निदेशक को एसबीआई अधिनियम की धारा 19 ए की उपधारा (2)/ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (3 एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाला माना जाएगा तथा इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।.

जी. भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च, 2015 एवं 20 जुलाई, 2016 के दिशानिर्देश

इसके अलावा, भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 सितंबर, 2013 के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार, निदेशक मण्डल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति शेयरधारक निदेशक की **"उपयुक्त तथा समुचित स्थिति"** का निर्धारण करते समय अशासकीय निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्दशों को भी ध्यान में रखेगी। भारत सरकार ने 25 मार्च, 2015 को दिशानिर्देशों में संशोधन किया है तथा अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के साथ पठित दिनांक 8 जुलाई, 2016 के संशोधन द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भेजा है जिसके सार निम्नानुसार है:

ए) सामान्य

1. नामांकन संबद्ध अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

2. नामिति की उपयुक्तता सामान्य शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, निष्ठा आदि की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। सत्यनिष्ठा तथा उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक कर्जों के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न देना या वहां से निकाल देना, विनियामकों तथा ऐसे ही निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा पिछली संदेहात्मक व्यवसाय व्यवहारों आदि को आधार बनाया जाना चाहिए।

बी) अनुभव

1. सामान्यतः कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग एवं आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। उद्योग में वरिष्ठ पद पर 20 वर्ष के अनुभव, संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञता (प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, किसी घाटे में चल रहे संगठन को उबारकर मुनाफे में लाया हो) को वरीयता दी जाएगी।

2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, जिनका कुल अनुभव 20 वर्ष का हो और संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक सेवानिवृत्ति के एक वर्ष

(b) makes incomplete or incorrect disclosures, or

(c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above,

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (2) of section 19A of the SBI Act / sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

G. GOI GUIDELINES DATED 25th MARCH 2015 & DATED 20TH JULY 2016

As advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining **"Fit and Proper Status"** of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

a) General

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.

2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

b) Experience

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after

बाद। पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/ कार्यपालक निदेशकों की उस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के बोर्ड में, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक, जो अभी सेवा में हैं, की किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के निदेशक मण्डल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. प्रमुख बैंकिंग प्रबंधन संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और प्रोफेसर जिन्हें 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो।

4. 20 वर्ष का अनुभव (ऑडिट अनुभव के अलावा) रखने वाले सनदी लेखाकारों को भी वरीयता दी जाएगी।

5. हालांकि, मामले की मेरिट के आधार पर विशिष्ट मामलों में वित्तमंत्री के अनुमोदन से अनुभव संबंधी मानदंडों में छूट दी जा सकती है।

6. जहां तक संभव हो, महिलाओं तथा एससी/एसटी समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

सी) शिक्षा

अशासकीय निदेशक (एनओडी) को किसी भी वर्ग में विशेषत: व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ कम से कम स्नातक होना चाहिए।

डी) आयु

निदेशक की आयु, सर्च/ नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ई) कार्य अनुभव

पेशेवर व्यक्तियों/शिक्षाविदों को अपने विशिष्ट क्षेत्र में सामान्यत: 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

एफ) अयोग्यता

- **i.** यदि कोई निदेशक पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी बैंक/ वित्तीय संस्था (एफआई)/ भा.रि.बै/ बीमा कंपनी में निदेशक के रूप में कार्यरत हो, तो किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्था/ भा.रि.बै/ बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में उसके नामांकन पर विचार न किया जाएगा।
- **ii.** किराया खरीद, वित्त पोषण निवेश, पट्टा या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति एम पी, एमएलए, एमएलसी तथा स्टॉक ब्रोकर को बैंकों /वित्तीय संस्थाओं/ भा.रि.बै/ बीमा कंपनियों के निदेशक मंडल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, पट्टा या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए निवेशकों को अशासकीय निदेशक की नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि उनका ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं हैं।

one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.

3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.

4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.

6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination and Remuneration Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications

- **i.** A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
- **ii.** Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

iii. किसी भी व्यक्ति को, जो पहले किसी बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में लगातार किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल या 6 वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में सेवा कर चुका है, उसे एनओडी के रूप में पुन: नामांकित नहीं किया जा सकता है।

iv. कोई सनदी लेखाकार, यदि उसकी फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।

v. कोई सनदी लेखाकार यदि उसकी फर्म किसी बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूम में कार्य कर रहा हो।

जी) अवधि

किसी भी एनओडी को बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/ भा.रि.बैं./ बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में 6 वर्षों के लिए लगातार या अलग-अलग समय पर एनओडी/शेयर धारक निदेशक रह चुके हैं।

एच) व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10(डी) के अंतर्गत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के कार्यालय के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिबंध के मामलों का अलग से परीक्षण किया जा सकता है।

आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में देश के सभी छ: क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य तथा उत्तर-पूर्व से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

एच. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के प्रधान कार्यालय में केवाईसी-एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, 7वां तल, बड़ौदा भवन, आर. एस. नं. 576, आर सी दत्त रोड, सेंटर पॉइंट के सामने, अलकापुरी, वडोदरा- 390007 में गुरुवार **30 नवंबर, 2023 से गुरुवार 21 दिसंबर, 2023** तक सभी कार्य दिवसों (दूसरे एवं चौथे शनिवार, रविवार, बैंक अवकाश के अलावा) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार तथा पहले और तीसरे शनिवार को दोपहर **2:00 बजे से सायं 4:00** बजे तक शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ताकि प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भाग से वांछित सूचना प्राप्त कर सकें।

यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/ अंश की कंम्प्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग हेतु रु. 5/- की दर से राशि का भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा।

iii. No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

iv. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.

v. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

g) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/ Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) Professional Restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

i) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

H. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the Bank of Baroda, KYC AML Dept., 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 on all working days from Thursday, **30th November 2023 to Thursday, 21st December 2023** (other than Second and Fourth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e., Monday to Friday and first and third Saturdays between **2.00 pm to 4.00 pm** for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

आई.शेयरधारकों की सूची

जैसा कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 64 में दिया गया है, यथासंशोधित शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रानिक रूप में) बैंक के वडोदरा स्थित प्रधान कार्यालय में, **गुरुवार, 30 नवंबर, 2023** से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पक्ष में वडोदरा में देय किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपए) के मांग ड्रॉफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से भुगतान करने पर शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु उपलब्ध होगी। इच्छुक अभ्यर्थी को उक्त सूची खरीदने के लिए एक अनुरोध पत्र **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007 / कंपनी सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को इस वचन-पत्र के साथ देना होगा कि इस सूची का उपयोग चुनाव में प्रचार के लिए किया जाएगा तथा उसका कोई और उपयोग नहीं किया जाएगा।

जे. निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अभ्यर्थी का नामांकन निम्न शर्तों के अध्यधीन स्वीकार्य होगा:

ए) विनियमों के विनियम 65 की शर्तों के अनुसार वह **विनिर्दिष्ट / अंतिम तारीख शुक्रवार, 17 नवंबर, 2023** को बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक हो और बैठक की तारीख तक और उसके बाद यदि चुन लिया जाता है तो उसके कार्यकाल के बाद भी उसे न्यूनतम 100 शेयरों का शेयरधारक होना चाहिए।

बी) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम **एक सौ पात्र शेयरधारकों** अथवा यथाविधि उनके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते, कि नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है और उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया हो, तो संकल्प पारित करने वाली बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, जिसे सत्यप्रति के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

I. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form) will be available at the Head Office, Vadodara / Corporate Office, Mumbai of the Bank from **Thursday, 30th November 2023** for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order of Scheduled Bank or direct credit in favor of "Bank of Baroda". The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

J. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

a) In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday, 17th November 2023** being the **Specified/Cut-Off Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

b) The valid nomination in writing signed by at least **One Hundred Shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office / Corporate Office of the Bank addressed to the **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

सी) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किए गए वैध नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा सब रजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेंस अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम अथवा विनियम अधिनियम अथवा उक्त योजना अथवा विनियमों या भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के लिए अयोग्य नहीं है और साथ ही वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) को उपयुक्त रूप में हस्ताक्षरित करते हुए और यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा कि यह विवरण उसके अधिकतम ज्ञान व जानकारी में सत्य व उपयुक्त है और साथ ही यह भी शपथ पत्र देगा कि वह बाद में भी ऐसे मामलों में जो सूचना, तदनुरूप घोषणा की दृष्टि से प्रासंगिक है, उससे बैंक को पूरी तरह अवगत कराएगा।

डी) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख अर्थात् बुधवार, **06 दिसंबर, 2023** तक बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 या बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 (जैसा कि अब "विनियम" के रूप में संदर्भित होगा) के अंतर्गत अयोग्य न हो और उसके बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशासकीय निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में 25 मार्च, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों अथवा निदेशक के चुनाव के संबंध में समय-समय पर जारी ऐसे अन्य निर्देशों के साथ पठित, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीआर.नियुक्ति सं.:9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार निदेशक मण्डल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा 'उपयुक्त एवं समुचित' पाया गया हो।

नामांकन पत्र और घोषणा पत्र विनियमों के द्वारा निर्धारित हैं और नोटिस के साथ **संलग्न प्रारूप में** दिए गए है। (यह प्रोफ़ार्मा बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in)

के. नामांकन फार्म की प्रस्तुति :

शेयरधारकों में से केंद्र सरकार को छोड़कर, बैंक के निदेशक हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में विधिवत भरे हुए निम्नलिखित दस्तावेज **सीलबंद लिफाफे में** जिस पर **'बैंक ऑफ़ बड़ौदा निदेशक का चयन- दिसंबर 2023'** लिखा हो, उसे व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक/कुरियर के माध्यम से **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन)** को संबोधित करते हुए

c) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

d) As on Wednesday, **06th December 2023** , being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of the Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 of Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 issued by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.

The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the **proforma annexed** to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.bankofbaroda.in)

K. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a **sealed envelope** superscribing thereon **"Bank of Baroda Election of Director – December 2023"** in person or through Regd. Post / Courier addressed to the **Chief General Manager (Operations), Bank**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007 / कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051 को असाधारण आम बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात् **बुधवार 06 दिसंबर, 2023** को **सायं 4:00 बजे** तक या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए।

ए) विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र

बी) निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से वैध नामांकन फॉर्म

सी) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र तथा वचन पत्र के साथ-साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाण-पत्र **अर्थात् स्व-प्रमाणित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, बैंक के लिए उपयुक्त अनुभव आदि की प्रतियां संलग्न हो।**

डी) उक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

एल. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव

ए) नामांकनों की जांच नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्रथम कार्य दिवस को अर्थात् गुरुवार, **07 दिसंबर, 2023** को बैंक द्वारा नामांकनों की स्वीकार्य नियम एवं विनियमों के तहत की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

बी) वैध नामांकन भी भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मण्डल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)/ निदेशक मंडल, जैसा भी मामला हो, द्वारा जांच किए जाने के अधीन होगी। चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध समान स्वरूप के हैं, अत: बैंक अभ्यर्थियों के उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से जो अधिक सख्त हों, उस पर विचार कर सकता है।

सी) बैंक नामांकन की जांच के समय या/बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/ निदेशक मंडल द्वारा सूचित किए अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी से संबंधित अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

डी) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद, यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति हेतु केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता है तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी/यों को

of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051 so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e., on or before **4.00 p.m., on Wednesday 06th December 2023**:

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, **viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc**.,

d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

L. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

a) Nominations shall be scrutinized on Thursday, **07th December 2023**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations in terms of applicable laws and regulations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.

b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board / Board of Directors, as the case may be, in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines. As restriction imposed by RBI Direction and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.

c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / the Board of Directors seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature.

d) After the scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee, if there is only ONE valid nomination for one vacancy to be filled by the election, the name of the candidate

उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी किसी स्थिति में अथवा किसी भी नामांकन के वैध नहीं पाए जाने पर असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। **नए चुने गये निदेशक रविवार, 24 दिसंबर, 2023 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे तथा पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।**

ई) यदि वैध नामांकन की संख्या एक से अधिक हो तो प्रत्याशियों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराया जाएगा एवं चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले, अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग को मिलाकर, प्रत्याशी को निर्वाचित माना जाएगा और उनका नाम बैठक में घोषित किया जाएगा तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

एम. उम्मीदवारी वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह शुक्रवार **दिनांक 15 दिसंबर, 2023 को बैंक के कामकाज के घंटों की समाप्ति से पहले, अर्थात शाम 4.00 बजे तक** या उससे पूर्व किसी भी समय, **मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा भवन, आर. सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा- 390 007/ कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सातवां तल, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051** को संबोधित हस्ताक्षरित पत्र भेज कर या gm.ops.ho@bankofbaroda.com; अथवा companysecretary.bcc@bankofbaroda.com पर स्कैन तथा हस्ताक्षरित पत्र का ई-मेल भेजकर अपना नामांकन वापस ले सकता है।

एन. विवाद

यदि कोई विवाद उत्पन्न होगा, तो बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998, यथा संशोधित के विनियम 67 के अनुसार उसे निपटाया जाएगा।

ओ. उद्धरण

लागू अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबद्ध हिस्सों के उद्धरण शेयरधारकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर प्रदर्शित किया गया है। जो शेयरधारक चुनाव लड़ना चाहते हैं वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति मंगवाने के लिए बैंक के कंपनी सचिव companysecretary.bcc@bankofbaroda.com को लिख सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं।

so nominated shall be proposed by way of a Resolution pursuant to Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations read with Section 9(3)(i) of the Banking Companies Act at the EGM, wherein only shareholders other than the Central Government shall be entitled to vote. The candidate shall be declared elected, if and only if, the said Resolution is passed with majority. **The newly elected director will assume office from Sunday 24th December 2023 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.**

e) If there are more than One valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate having the majority of the votes i.e. aggregate of remote E-voting and E-voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and published in newspapers.

M. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time i.e. **on or before 4.00 p.m. on Friday, 15th December 2023** by sending a signed letter addressed to **Chief General Manager (Operations), Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Bhawan, R.C.Dutt Road, Alkapuri, Vadodara 390 007 / The Company Secretary, Bank of Baroda, 7th Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051** or sending scanned and signed letter over e-mail at gm.ops.ho@bankofbaroda.com; OR alternately companysecretary.bcc@bankofbaroda.com.

N. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

O. EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.bankofbaroda.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at companysecretary.bcc@bankofbaroda.com and obtain the same.

पी. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक उनकी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने नामांकन दर्ज किए हैं, कार्यवाही की उक्त मदों से उन्हें सरोकार है या उसमें उनका हित है, ऐसा समझा जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

देबदत्त चांद
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 08 नवंबर, 2023

P. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

By Order of the Board of Directors
For BANK OF BARODA

Debadatta Chand
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 08th November, 2023

क्र सं.

नामांकन फार्म

प्रति,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
प्रधान कार्यालय,
वडोदरा.

प्रिय महोदय,

निदेशक का चुनाव

आपके दिनांक ....2023 के नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री/सुश्री .... बैंक ऑफ़ बड़ौदा का शेयरधारक, **शुक्रवार, 17 नवंबर, 2023** अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को प्रत्येक रु. 2/- के .... इक्वटी शेयरों का धारक, एतद् द्वारा श्री/सुश्री .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी .... निवासी .... को **गुरुवार, दिनांक 21 दिसंबर, 2023** को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु नामित करता हूं/करती हूं.

नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. **(यदि अभौतिक रूप में न हो)**	
डी.पी. आई.डी. नं. एवं ग्राहक आई.डी. नं. (यदि अभौतिक रूप में हो.)	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणी :

ए) यदि नामांकन किसी कार्पोरेट निकाय शेयरधारक द्वारा किया गया हो, तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर, जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए.

बी) प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए.

सी) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है.

Sr. No.

NOMINATION FORM

To
Managing Director & CEO,
Bank of Baroda
Head Office,
Vadodara.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to your EGM Notice dated _______ 2023, I, ... a Shareholder of Bank of Baroda holding .... equity shares of Rs. 2/- each fully paid up as on **Friday, 17th November 2023** i.e., the Specified/ Cut-Off Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. .... son / daughter / wife of ....residing at .... for being elected as a Director of Bank of Baroda representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Thursday, 21st December 2023**.

Name	
Signature	
No. of Shares Held	
Regd. Folio No. **(if not dematerialized)**	
DP ID No. & Client ID No. **(If dematerialized)**	
Place	
Date	

Notes:

a) In case nomination is made by a Shareholder who is a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

b) Signature of the Shareholder nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.

c) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

घोषणा पत्र

मैं, श्री/श्रीमती .... सुपुत्र/ सुपुत्री/ पत्नी/ श्री/ श्रीमती ....
................निवासी.. एतदद्वारा पुष्टि करता /करती हूं कि :-

ए) मैं 17 नवंबर, 2023 अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ तारीख को बैंक के रु. 2/- प्रति शेयर वाले .... इक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूं और घोषणा करता/ करती हूं कि यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुन लिया जाता/ जाती हूं, तो उसकी अवधि की समाप्ति तक शेयरधारिता रखूंगा/रखूंगी.

बी) *मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग अथवा अन्य किसी विषय, सूचना प्रौद्योगिकी/ भुगतान एवं निपटान प्रणाली/ मानव संसाधन/ जोखिम प्रबंधन/ व्यवसाय प्रबंधन आदि का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा किसानों, कामगारों और दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं/ करती हूं और उसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता हूं/करती हूं, और

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

सी) मैं नामांकन क्रमांक ....स्वीकार करता हूं/ करती हूं; और

डी) मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक के निर्वाचन में प्रत्याशी बनना चाहता/ चाहती हूं; और

ई) मैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित अधिसूचना तथा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अशासकीय निदेशकों के संबंध में जारी मानदंडों के तहत बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूं और

एफ) मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूं; तथा

जी) मैं न कोई लाभ का पद धारण करता हूं/ करती हूं अथवा न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का/ की कर्मचारी हूं.

साथ ही मैं घोषणा करता/ करती हूं:

एच) मुझे कभी भी दिवालिया करार नहीं किया गया है और मैनें कभी भी अपने लेनदारों का भुगतान नहीं रोका या प्रशमन नहीं किया है; तथा

आई) मुझे कभी भी विक्षिप्त नहीं पाया गया है और न ही कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हैं और न ही कभी नैतिक भ्रष्टता के किसी जुर्म में किसी अपराधिक न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया है; तथा

जे) मुझे कभी किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायायिक दंडाधिकारी या उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा

के) मैं चयन होने के पश्चात बैंक के साथ अपने पेशेवर रिश्ते, यदि कोई हो, को समाप्त करूंगा/ करूंगी तथा बैंक के साथ निदेशक के रूप में अपनी कार्यभार अवधि के दौरान और उसके बाद के दो वर्षों की अवधि के लिए कोई पेशेवर रिश्ता नहीं रखने का वचन देता/ देती हूं.

एल) मैं पहले भी किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्था या किसी बीमा कंपनी या एनओएफ़एचसी धारक किसी अन्य बैंक के बोर्ड में निदेशक मंडल में निदेशक नहीं हूं.

एम) मैं किसी किराया खरीद, वित्तपोषण, राशि उधार देने, निवेश, लिजिंग तथा अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ / जुड़ी हुई नहीं हूं;

एन) मैं पहले भी किसी बैंक/ वित्तीय संस्थान/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ किसी बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार या अलग-2 समय पर -6- वर्षों के लिए निदेशक नहीं रहा/ रही हूं.

ओ) मैं स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार में शामिल नहीं हूँ.

पी) मैं सांसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों से तात्पर्य ऐसे निकाय अर्थात अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) का पद पर कार्यरत नहीं हूं.

क्यू) मैं सांविधिक केन्द्रीय लेखा परिक्षक के रूप में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के साथ वर्तमान में कार्य कर रहे किसी सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूं.

आर) मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे सनदी लेखाकार फर्म में भागीदार नहीं हूं जिसमें चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत किया गया है.

एस) मेरा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध है (विधिक सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) और न ही मैं उन गतिविधियों में शामिल हूं, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है.

टी) मेरा किसी बैंक या किसी एनओएफ़एचसी धारक कोई अन्य बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण से पहले निर्वाचित होने पर बैंक के साथ संबंध को समाप्त करने का वचन लेता/ लेती हूं.

यू) मैं किसी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/ एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूं और मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूं.

वी) मैं निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले नियम पत्र विलेख (भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता/ देती हूं;

डबल्यू) मैं बैंक को पूरी तरह से, यथाशीघ्र, घटनाओं, यदि कोई हो, जो इस घोषणा के बाद होने वाली जानकारी से संबंधित है, जो कि सूचना प्रदान करने के लिए प्रासंगिक है, और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चयन पर नियम पत्र विलेख निष्पादित करने का वचन देता/ देती हूं; तथा

एक्स) मैं, सेबी (सूचीयन करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 यथा संशोधित के संबंधित प्रावधानों को बैंक में निदेशक बने रहने तक पालन करुंगा/ करूंगी.

वाई) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/ रही हूं जो कि मेरी अधिकतम जानकारी में और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं.

जेड) मैं अन्य कंपनी/ बैंक में वर्तमान में तथा पहले रहे अपने निदेशक कार्यकाल का विवरण नीचे दे रहा/ रही हूं:

कंपनी/बैंक का नाम	निदेशक के रूप में विवरण अर्थात् कार्यकाल, निदेशक के पद का स्वरूप, अवधि आदि

(आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट लगाएं)

एए. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/ रही हूं जो कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं

नाम	
हस्ताक्षर	
मोबाइल नंबर	
ई-मेल आईडी	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक न हो)	
डीपी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं. (यदि अभौतिक हो)	
स्थान	
तारीख	

टिप्पणी: उम्मीदवार इस घोषणापत्र में दिए गए विवरण को डिलीट/संशोधित कर सकते हैं

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है.

हस्ताक्षर ....

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्योरेंसस के उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित/ अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंक ऑफ़ बड़ौदा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर.

bob World | बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

DECLARATIONS

I, ……………………………………… son/daughter/wife of Shri/Smt.……………………………… resident of……………………

………

……………………………………hereby confirm that :

a. I am a Shareholder holding …………….. equity shares of Rs.2/- each of the Bank as on Friday, **17th November 2023**, i.e., the Specified/Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;

b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law,(vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

(*Delete whichever is not applicable.)

c. I accept the nominations numbering ……………………..; and

d. I am willing to contest for the election of Director of BANK OF BARODA; and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and

f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and

g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that :

h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and

i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and

j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and

k. I will severe professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

l. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

m. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;

n. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

o. I am not engaging in the business of stock broking.

p. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)

q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank of Baroda in which nomination for election is filed.

s. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Bank of Baroda nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Bank of Baroda.

t. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.

u. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.

v. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI Directions dated 02.08.2019) before assuming office as a director;

w. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and

x. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

y. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and

z. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, nature of directorship, period etc.

(add additional rows / sheets if necessary)

aa. I enclose my personal details which are to the best of knowledge and belief true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
Mobile Number	
Email ID	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No.(if dematerialized)	
Place	
Date	

Note: Candidates may delete / modify the statement/s contained in this declaration.

The above declaration was signed before me.

____

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of Baroda or any Nationalized Bank.

बैंक का नाम: बैंक ऑफ़ बड़ौदा

प्रास्तावित निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र

(उपयुक्त अनुलग्नकों सहित)

यहां पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

दिनांक ....2023 को उपयुक्त अनुलग्नकों सहित प्रत्याशी द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र					
I		**प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण**			
	ए	नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	बी	वर्तमान पता			
	सी	राष्ट्रीयता			
	डी	जन्म तिथि (तिथि/माह/वर्ष) और उस तारीख को आयु	- - / - - / - - - - आयु: - - वर्ष - - माह - - - दिन		
	ई	शैक्षणिक योग्यताएं			
	एफ	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)			
	जी	आधार संख्या			
	एच	**(i)** स्थायी खाता संख्या(पैन): **(ii)** आयकर सर्कल/वार्ड का नाम और पता, जहां प्रस्तावित निदेशक की कर (आयकर अधिकार क्षेत्र) फाइल की जाती है : **(iii)** पिछले 3 वर्षों के लिए फाइल की गई विवरणी (यों) और करों के भुगतान का विवरण	**फाइल करने की तारीख**	**भुगतान की गई कर की राशि (रुपए में)**	
	आई	स्थायी पता			
	जे	ई-मेल का पता/ वैकल्पिक ई-मेल का पता: एसटीडी कोड सहित दूरभाष संख्या: मोबाइल संख्या:			
	के	संबद्ध ज्ञान तथा अनुभव ड बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीआर. एपीपीटी.बीसी सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित • बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2), • बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3ए) • एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 19ए(ए),			

	एल	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव के संबंध में संक्षिप्त विवरण)	
	एम	जहां कार्य किया है उस संगठन(नों) का पूरा पता, नियुक्ति की तारीख, अवमुक्ति की तारीख (कारणों सहित), पदनाम आदि सहित विगत न्यूनतम दस वर्षों को शामिल करते हुए पिछला व्यवसाय.	
	एन	सनदी लेखकार के मामले में, निम्नलिखित सूचना दें: (i) आईसीएआई की सदस्यता संख्या (ii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकरण की तारीख (iii) पंजीकृत फर्म/फ़र्मों का नाम और पता (iv) फर्म/फ़र्मों द्वारा वर्तमान में किए गए लेखा परीक्षण /परीक्षणों के विवरण	
	ओ	शाखा और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) सहित बैंकर(रों) का नाम जहां वह प्राथमिक खाता धारक है डीमैट खाता(ते) यदि कोई हो, तो उसका विवरण (प्रति संलग्न करें)	बैंक का नाम शाखा खाते का प्रकार खाता संख्या
	पी	सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) से व्यापक क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सभी मॉड्यूल सहित)	
	क्यू	कोई अन्य सूचना जो बैंक के निदेशक मंडल से संबंधित हो	
II		**प्रस्तावित निदेशक से संबंधित संबंध**	
	ए	बैंक से जुड़े संबंधियों की सूची, यदि कोई हो डकंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उप-धारा (77) और कंपनी (परिभाषा की विशिष्टता) के नियम 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें.	
	.	(i) प्रतिष्ठानों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उसका हित निहित रहा हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें). बैंकों / एनबीएफसी / कंपनियों / कार्पोरेट निकायों / फर्मों / व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का उल्लेख अलग से किया जाना चाहिए. (ii) ऐसी संस्थाएं जिनमें वह लाभकारी स्वामित्व रखता हो/रखती हों डकंपनी अधिनियम, 2013 धाराएं 89 और 90 का संदर्भ लें और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व संबंधी नियमों का भी संदर्भ लें. (iii) न्यासों की सूची जिसमें न्यासी के रूप में पद ग्रहण किया गया हो.	

<table>
<tr><td></td><td>सी</td><td>प्रस्तावित और मौजूद प्रतिष्ठानों की सूची, जिनमें उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई)ङ के प्रयोजन के तहत पर्याप्त हित रखने वाले के रूप में माना गया हो.
“पर्याप्त हित” (i) एक कंपनी के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हित धारिता, जिस पर अदा की गई रकम 5 लाख से अधिक हो अथवा कंपनी की चुकता (प्रदत्त) पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है, इसमें जो भी कम हो;
(ii) एक फ़र्म के संबंध में इसका अर्थ, किसी व्यक्ति अथवा उसके पति-पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे द्वारा एकल या सामूहिक रूप से किसी कंपनी के शेयरों में लाभभोगी हितधारिता, जो उक्त फ़र्मों के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता हो;</td><td><table>
<tr><td>कंपनी/ फर्म का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>निगमीकरण का क्षेत्र</td><td></td></tr>
<tr><td>शेयरों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</td><td></td></tr>
<tr><td>धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य</td><td></td></tr>
<tr><td>कुल पीयूसी की % शेयर धारिता</td><td></td></tr>
<tr><td>लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % में)</td><td></td></tr>
<tr><td>क्या संस्थान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी है.</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>डी</td><td>विदेशों में निगमित और भारत में व्यावसायिक स्थल वाले संस्थानों में धारिता</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ई</td><td>बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिनमें वह बोर्ड का सदस्य/ सलाहकार है अथवा रहा है (उस अवधि का विवरण देते हुए, जिसके दौरान उस कार्यालय का पद ग्रहण किया गया हो/ किया गया था)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>एफ</td><td>निधि और गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हो, जिनका उसने और/ अथवा उपर्युक्त II (बी) से (डी) में सूचीबद्ध इकाइयों ने वर्तमान में बैंक से उपयोग किया हो.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>जी</td><td>ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां उसने अथवा उपर्युक्त II (बी) से (डी) में सूचीबद्ध इकाइयों ने बैंक/ किसी अन्य बैंक/ एनबीएफसी/ किसी अन्य ऋणदाता संस्थान से ऋण सुविधाओं की चुकौती में चूक की है अथवा विगत 10 वर्षों में चूक हो चुकी हो.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>एच</td><td>ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां वह एक चूककर्ता हैं या किसी बैंक/ एनबीएफ़सी/ किसी अन्य उधार देने वाले संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया है.</td><td></td></tr>
<tr><td>III</td><td></td><td>व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ए</td><td>निदेशक पद से संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां</td><td></td></tr>
<tr><td>IV</td><td></td><td>प्रत्याशी के विरूद्ध कार्रवाइयां, यदि कोई हो</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ए</td><td>यदि वह किसी व्यावसायिक संस्था/ निकाय का सदस्य है तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण यदि कोई विचाराधीन हो अथवा शुरू की गई हो अथवा उसके विरूद्ध पहले दोषसिद्धि के फलस्वरूप हो अथवा क्या वह किसी समय किसी व्यवसाय/धंधे को शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>बी</td><td>पूर्व में उनके और /अथवा उपरोक्त II (बी) और (ई) में सूचीबद्ध किसी इकाई के विरूद्ध आर्थिक कानून और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषसिद्धि के फलस्वरूप लंबित अथवा शुरू किए गए अभियोजनों का विवरण, यदि कोई हो.</td><td></td></tr>
</table>

	सी	उनके विरूद्ध पूर्व में लंबित अथवा शुरू किए गए अथवा दोषसिद्दि के फलस्वरूप आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
	डी	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अयोग्यताओं के कारण अयोग्य ठहराया गया है	
	ई	क्या वह अथवा II (बी) और (ई) में उल्लिखित किसी इकाई को सरकारी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा किसी अंवेषण के अध्यधीन रखा गया है?	
	एफ	क्या उनको कभी कस्टम/एक्साइज/आयकर/विदेशी विनिमय/ राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है? यदि ऐसा है तो विवरण दें.	
	जी	क्या वह कभी सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए आदि जैसे विनियामकों के समक्ष प्रतिकूल नोटिस में आए हैं?	
		(हालांकि प्रत्याशी द्वारा विनियामकों के ऐसे आदेशों तथा निष्कर्षो के बारे में कॉलम में उल्लेख करना संभव नही होगा जो बाद में समग्र निरस्त / प्रत्यावर्तित कर दिए गए, तथापि ऐसे मामलों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जो न्यायाधिकारिता की सीमितता अथवा अभाव जैसे तकनीकी कारणों और मेरिट पर न होने के कारण प्रतिवर्तित/निरस्त किये गए हों. यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया हो और अपील/न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए)	
V		मद क्र. **I** से **V** के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना और 'उपयुक्त एवं समुचित' पाए जाने के लिए संबंधित अन्य कोई सूचना.	

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता/ करती हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही और पूर्ण है। मैं बैंक को उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी सभी घटनाओं, जो कि मेरी नियुक्ति के पश्चात होती हैं, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता/देती हूं. मैं बैंक के लेखापरीक्षा कार्य से खुद को दूर रखने और संस्थाओं जिसमें मैं दिलचस्पी रखता हूं में शामिल बैंक के ऋण/ निवेश संबंधी निर्णयों में भाग नहीं लेने का वचन देता/देती हूं.

मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले वचन विलेख को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूं

स्थान:

दिनांक: प्रत्याशी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक:

टिप्पणी : जहां पर्याप्त जगह न हो, वहां क्रमानुसार अनुबंध में समुचित संदर्भ के साथ सूचना संलग्न करें.

प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंधों सहित) पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए. नामांकन और पारिश्रमिक समिति/ नामांकन समिति की राय/टिप्पणी

स्थान:

दिनांक: **अध्यक्ष के हस्ताक्षर**

समिति सदस्य के हस्ताक्षर	समिति सदस्य के हस्ताक्षर	समिति सदस्य के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

Name of Bank: Bank of Baroda

Declaration and Undertaking by a Proposed Director
(with appropriate enclosures)

Affix passport size photo here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on __________2023					
I		**Personal details of Candidate**			
	a	Name	First Name	Middle Name	Last Name
	b	Present Address			
	c	Nationality			
	d	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age as on date	----- / ----- / ----- Age: ----- years ----- months ----- days		
	e	Educational Qualifications			
	f	Director Identification Number (DIN)			
	g	Aadhaar Number			
	h	(i) Permanent Account Number (PAN): (ii) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle / Ward: (iii) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	**Date of filing**	**Amount of tax paid (INR)**	
	i	Permanent Address			
	j	E-mail Address/ Alternate e-mail Address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:			
	k	Relevant Knowledge and Experience [Refer • Section 10A(2) of Banking Regulation Act, 1949, • Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 • Section 19A(a) of the SBI Act, 1955, as the case may be, read with RBI Circular DBR. Appt. BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 on Special knowledge or practical experience useful to banking companies]			
	l	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)			
	m	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.			

	n	In case of a Chartered Accountant, indicate the following: (i) Membership Number of ICAI (ii) Date of registration with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (iii) Name and Address of the registered firm/s (iv) Details of the Audit/s presently undertaken by the firm/s	
	o	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current /loan accounts) where he/she is the primary account holder. Details of Demat account(s) held if any (attach copy)	Name of the Bank: Branch: Type of A/c: A/c Number:
	P	Comprehensive Credit Information Reports (including all modules) from all the Credit Information Companies (CICs)	
	q	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II		**Relevant Relationships of proposed director**	
	a	List of Relatives, if any, who are connected with any bank [Refer Sub-Section (77) of Section 2 of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014]	
	b	(i) List of entities, if any, in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013). Names of the banks/ NBFCs/ companies/ bodies corporate/ firms / association of individuals etc. should be mentioned separately. (ii) Entities in which he/she holds beneficial ownership [Refer Sections 89 & 90 of Companies Act, 2013 and also refer to applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA] (iii) List of Trusts in which the position as Trustee is held.	
	c	List of entities, existing and proposed, in which he/ she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949. "*substantial interest*" *(i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;*	Name of the company / firm County of incorporation Number of shares Face value of each shares Total face value of share holding Shareholding as % of total PUC Beneficial interest (in value as well as % terms) Whether the entity is a section 8 company under Companies Act 2013

	d	Holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India	
	e	Name of Bank/NBFC/any other company in which he / she is or has been a member of the Board / Advisor (giving details of period during which such office is/was held)	
	f	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) to (d) above from the bank	
	g	Cases, if any, where he/she or entities listed in II (b) to (d) above are in default or have been in default in the past 10 years in respect of credit facilities obtained from the bank/any other bank/ NBFC/any other lending institution.	
	h	Cases, if any, where he/she is a defaulter or has been declared as a wilful defaulter by any bank/ NBFC/any other lending institution.	
III		**Records of professional achievements**	
	A	Professional achievements relevant for the directorship	
IV		**Proceedings, if any, against the Candidate**	
	a	If the he/she is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.	
	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her and / or against any of the entities listed in II (b) to (e) above for violation of economic laws and regulations	
	c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her	
	d	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act, 2013?	
	e	Whether he/she or any of the entities at II (b) and (e) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f	Whether he/she at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
	g	Whether he/she at any time has come to the adverse notice of any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA, etc.	

		(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V		**Any other explanation / information in regard to items I to IV and other information relevant for judging 'fit and proper'**	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I undertake to distance myself from the bank audit work and not participate in the bank's credit/investment decisions involving entities in which I am interested.

I also undertake to execute the Deed of Covenant as required to be executed by all the directors of the bank.

Place :

Date : Signature of Candidate

Enclosures:

Note:

Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.

Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination and Remuneration Committee / Nomination Committee:

Place:

Date: **Signature of the Chair**

Signature of Committee Member	Signature of Committee Member	Signature of Committee Member

Place :

Date :